न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस

नम्बर मुकदमा :– 138/25

किशनी पत्नी प्रभुराम जाति जांगिड निवासिनी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू।

.....वादिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर जिला चूरू।
2. इमरताराम पुत्र प्रभुराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चुरू।
3. तोलाराम पुत्र प्रभुराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चुरू।
4. फूसाराम पुत्र प्रभुराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चुरू।
5. बबूलाल पुत्र प्रभुराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चुरू।
6. रामेश्वरलाल पुत्र प्रभुराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चुरू।
7. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ़ ग्राम लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू।

.....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29-1-26

प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादिनी की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या नया 42, पुराना 32 खेत खसरा संख्या 199 रकबा 3.2881 हेक्टेअर, खसरा संख्या 210 रकबा 6.9809, खसरा संख्या 266 तादादी 8.1316 हैक्टेअर कुल रकबा 18.4006 हैक्टेअर वारानी अव्वल स्थित है, जिसके खातेदारी रिकॉर्ड में मुझ वादिनी का नाम गंगा पत्नी प्रभूराम दर्ज है। जो कि मेरा बोलता नाम अंकित करवा दिया गया है। जो संहवन एवं गलती से दर्ज हो गया जो कि लिपिकीय भूल है। मेरा वास्तविक, दस्तावेजी और सही नाम किशनी पत्नी प्रभु राम है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक खाता समस्त में मेरा नाम किशनी पत्नी प्रभु राम है। राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम गंगा पत्नी प्रभु राम होने के कारण समस्त प्रकार की दस्तावेज कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण मैं प्रत्येक प्रकार का राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रही हूं। प्रस्तुत वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिनी का वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कर फरमाया जाकर रोही कान्धलसर के खेत खसरा संख्या 199, 210, 266 के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में नाम गंगा पत्नी प्रभूराम की जाय किशनी पत्नी प्रभु राम करवाने के आदेश अता फरमायें। आदि आदि अंकित कर वाद–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 की ओर से श्री आमीन शेख एडवोकेट ने अपना वकालतनामा व इकबाल जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 को विधिवत सूचना भिजवाई जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा अपने सही नाम हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि वर्तमान में वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 द्वारा दावे में प्रस्तुत अपने इकबाल जवाब दावा में दावे के तथ्यों का समर्थन किया है अतः प्रस्तुत दस्तावेजात और प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के इकबाल जवाब दावा के आधार पर नाम में शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादिनी के खातेदारी खेत खसरा संख्या संख्या 199 रकबा 3.2881 हेक्टेअर, खसरा संख्या 210 रकबा 6.9809, खसरा संख्या 266 तादादी 8.1316 हैक्टेअर कुल रकबा 18.4006किस्म बारानी अव्वल राजस्व ग्राम कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदारी रिकॉर्ड में गंगा पत्नी प्रभूराम के स्थान पर किशनी पत्नी प्रभुराम अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-1-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते